न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-923/2026

शुभम कुमार बनाम् बिहार सरकार

[पचरूखी (सराय) थाना कांड संख्या 444 / 2025]

आदेश

22.05.2026 आवेदक / अभियुक्त **1. शुभम कुमार, पे. रमेश सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–923 / 2026, पचरूखी (सराय) थाना कांड संख्या–444 / 2025, अंतर्गत धारा–329(3),126(2),115(2),109,351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहन कुमार सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 26.09.2025 को समय लगभग 10:30 बजे दिन में सूचक अपने दुकान पर अपने पुत्र संदेश कुमार के साथ बैठा था कि उसी बीच पूर्व के जमीनी विवाद के वजह से राजाराम सिंह, रमेश सिंह, महेश सिंह, शुभम कुमार, चन्दन कुमार, गोविन्द कुमार सिंह एवं संदीप कुमार अपने–अपने हाथ में टांगी, तलवार लेकर आये तथा आते ही जान मारने के नियत से रमेश सिंह अपने हाथ में लिये टांगी से सिर पर मार दिया, जब सूचक चिल्लाया तो ममता देवी, इन्दु देवी, अनुज कुमार व संदेश कुमार इन्हें बचाने आया तो राजा राम सिंह अपने हाथ में लिए हुए तलवार से जान मारने के नियत से गर्दन पर मारा तो हाथ से रोकी तो ममता देवी व इन्दु देवी का हाथ कट गया। महेश सिंह अपने हाथ में लिए हुए दाव से सूचक के पुत्र संदेश कुमार का मार दिया। जब सबलोग गिर गये तो शुभम कुमार, चन्दन कुमार, गोविन्द कुमार एवं संदीप कुमार ने अपने हाथ में लिए हुए चाकू से सूचक के सभी परिवार को जान मारने के नियत से सिर पर मार दिया। जब पूरा परिवार घायल हो गया तो सीता देवी एवं रजान्ती देवी ने हसुआ से मारकर कई जगह काट दिये तथा दुकान में से सारा समान लूट लिये। जब सूचक गिर गया तो सीता देवी अपने हाथ में लिए हुए हसुआ से पेट में मार दी, जिससे काफी खुन गिरने लगा। सभी लोगों का इलाज सदर अस्पताल सिवान में होने की बात बतायी गयी है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि प्रस्तुत मामले सूचक रामजन्म सिंह के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है तथा आवेदक / अभियुक्त की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई आपराधकारित नहीं किया है। प्रस्तुत मामले में धारा 109 बी.एन.एस. को छोड़कर शेष आरोपित धारायें जमानतीय प्रकृति के है तथा धारा 109 बी.एन.एस. के तहत मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को इस मुकदमा में जमीनी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रस्तुत मामले के छः अभियुक्तों को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 3016 / 2025 के द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान किया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया अभियोग पूरी तरह से झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़न्त है। आवेदक के भागने तथा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक उचित बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उनके द्वारा आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-923/2026

शुभम कुमार बनाम् बिहार सरकार

[पचरूखी (सराय) थाना कांड संख्या 444/2025]

विद्वान् अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में कहा है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी पचरूखी (सराय) थाना कांड सं0–444/2025, अन्तर्गत धारा–329(3),126(2),115(2),109,351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। प्रस्तुत मामले में आवेदक पर कथित घटना कारित करने का कोई विशिष्टतयॉ अभियोग नहीं है तथा अभियुक्त रमेश सिंह पर टांगी से सूचक के सिर पर मारने का विशिष्टतयॉ अभियोग है जो इस अग्रिम जमानत में आवेदक नहीं है। प्रस्तुत मामले के सह अभियुक्तों को अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3016/2025 एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–357/2026 के द्वारा के द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान किया गया है और आवेदक पर आरोप भी जमानत प्राप्त अभियुक्तों के सामान्य है। कांड दैनिकी की कंडिका–33 में अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त/आवेदक के विरूद्ध सराय थाना में कोई कांड पंजीकृत नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **1. शुभम कुमार** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक इस का भी शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि वह भविष्य में कभी भी इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे तथा अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित
ह0/–
(राजेश कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,
सिवान।
दिनांक–22.05.2026

Date of Judgement/order	22-05-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	22-05-2026
Date of Uploading	25-05-2026
Uploaded by	Chandan Kumar